

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2026/डी-

दिनांक

मैसर्स भूमिजा रीयलस्कवायर एलएलपी
जरिये डेजिगनेटेड पार्टनर श्री गंगासिंह तंवर
पुत्र श्री सहदेव सिंह
पंजीकृत आफिस शॉप नं. 610, काउन स्कवायर गांधी पथ,
वैशाली नगर, जयपुर

विषय:-ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर में स्थित आवासीय योजना "भूमिजा प्राईम ब्लॉक सी" में 12.5 प्रतिशत रहन रखे हुए भूखण्डों को रहनमुक्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर में स्थित आवासीय योजना "भूमिजा प्राईम ब्लॉक सी" में आन्तरिक विकास कार्यों के पेटे रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 4, 10 क्षेत्रफल 595.75 वर्ग मीटर) भूखण्डों का इन्द्राज योजना मानचित्र में अंकित कर दिया गया है, मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलंगन कर प्रस्तुत है। योजना में वर्तमान में समस्त भूखण्ड रहन मुक्त किये जा चुके हैं।

सलंगन :- उपरोक्तानुसार

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : Digitally signed by Rajendra Kumar Sharma

RajKaj Ref No.:
21793248

M e-Sign



Signature valid

Digitally signed by Rajendra Kumar Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2026.04.24 14:09:45 IST
Reason: Approved

PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"BHUMIJA PRIME BLOCK-C"
IN KHASRA NO.- 963/920, 965/921, 961/922, 962/922, 917/229, 918/229, 919/229.
AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH:- JAIPUR & JAIPUR.



1470
B
11.11.24

नोट :-
मूल पत्रावली के पैरा संख्या 1371 पर भीमान
उपायुक्त महोदय की स्वीकृति की पावना में योजना
में आन्तरिक विकास कार्यों के चिरे रहन में रखे
गये प्रयोजी की योजना में आन्तरिक विकास
कार्य पूर्ण होने के पल खरप प्रकृष्ट प्रयोज
संख्या 4.10 कुल प्रयोज 2 क्षेत्रफल 595.75
व.मी. अपरित सम्पूर्ण 12.5 व. की रहन रुक
किमा भाग है।

X = 564024.8785
Y = 2976069.0534

J.D.A. APPROVED SCHEME
"RIYASAT PRIME"

ZDP ROAD 18.0 MT. WIDE

ZDP ROAD 30.0 MT. WIDE

X = 564008.3882
Y = 2976003.6503

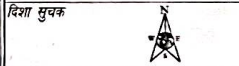
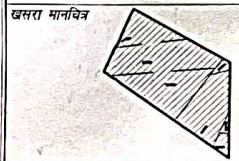
918/229

X = 564123.6258
Y = 2976029.8666

सहयुक्त नगर नियोजक
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

ज.वि.प्रा.



सहयुक्त नगर नियोजक
जोन-12

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	4210.83	46.26 %
2.	INFORMAL COMM.	156.10	01.71 %
TOTAL = 1+2		4366.93	47.97 %
3.	PARK	455.34	05.00 %
4.	MOBILE TOWER	10.01	0.11 %
5.	S.W.M.	50.47	0.56 %

6.	ZDP ROAD 18	293.13	03.22 %
7.	ZDP ROAD 30	3038.80	33.38 %
8.	ROAD	888.83	09.76 %
TOTAL = 3 TO 8		4736.58	52.03 %
SCHEME AREA		9103.51	100.00 %
LOSS AREA IN KHASRA		170.49 SQ.MT.	
TOTAL AREA		9274.00 SQ.MT.	

योजना की भूमि की समुदाय अधिनियम की धारा 80 ए की
कार्यवाही एवं नीति पर भूमि का प्रयोग के लिए किया गया।
योजना की भूमि पूर्ण अधिकार में निहित है।

योजना का नाम:-
"BHUMIJA PRIME BLOCK-C"

जोन संख्या = 12
फैसा - 1500

सहायक नगर नियोजक
अति.सहायक नगर नियोजक
वरिष्ठ नगर नियोजक

जयपुर विकास प्राधिकरण
CONSULTANT
Cad Max
PROJECTS (P) LTD.

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301 Third Floor Prime Tower
B-10 Sector-10 Road Overpass,
Gurgaon, Haryana, India
N 01122-0. 9925045032

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अधीन द्वारा किया गया है

- नोट
- कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
 - आवेदित भूमि की 80% की कार्यवाही दिनांक 22.08.2024 को हो चुकी है।
 - योजना की भूमि में समुदाय अधिनियम की धारा 80ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं नीति पर प्रमाणिकरण सहसिलदार द्वारा किया गया है।
 - टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एजेंड में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 4, 10 कुल भूखण्ड 2 कुल क्षेत्रफल 695.75 वर्गमीटर है, जो जिला में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा करकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
 - योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 366 वीं बैठक दिनांक 10.09.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 - योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत कॉमर्शियल व ग्रामीण दर्शित है एवं मास्टर विकास योजना 2025 व जेडीपी 11वीं के अनुसार आवसीय दर्शित है।
 - इनफोर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की स्थापित मय पथ-3/वाकिंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
 - योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 - बी.पी.सी. (एल.पी.) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जिला (जयपुर सैनिक भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

सहायक नगर नियोजक
जोन-12
सहसिलदार
जोन-12
उपायुक्त
जोन-12
वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)